न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला—दौसा (राज0)

प्रकरण संख्या— 3/2018 : दिनांक रजू 19—02—2018
पीठाशीन अधिकारी : मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

लालू पुत्र मंगला जाति बैरवा निवासी सालगरामपुरा चक नं01 ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(अपीलांट)

बनाम्

1. ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 लालसोट जिला दौसा।

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 81 ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 25—04—1989

उपस्थितः—अपीलांट की ओर से :— श्री सीताराम शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0 सं01 की ओर से :— श्री सुनिल कुमार शर्मा एडवाकेट
रेस्पो0 सं02 की और से :— एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः— 03-8-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 81 वाकै ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट द्वारा दिनांक 25—04—1989 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि ख0नं0 34 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं01 में अंकित व स्थित है। जिसमे से अपीलांट ने दिनांक 05—10—1988 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदारान मूल्या वल्द रूपल्या, कन्हैया वल्द नाथू, कल्याण, रामनाथ पिसरान् श्रवण द्वारा क्रमशः अपने हिस्से 1/24, 1/24 व 1/8 की भूमि को अपीलांट को विक्रय की गई थी तथा विक्रय भूमि पर उसी समय से ही अपीलांट काबिज काश्त करता आ रहा हैं लेकिन अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित खातेदार था जिनके नामान्तकरण के बारे में अपीलांट को पूर्ण विधिक जानकारी नहीं थी जिस वजह से रेस्पोडेन्ट सं01 द्वारा दिनांक 25—04—1989 को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण अपीलांट के हक में स्वीकृत किया गया तब अपीलांट का हिस्सा 1/24 अंकित कर उसे वापिस कांट छांट कर उसके स्थान पर 1/6 हिस्सा अंकित कर उसका इन्द्राज गलत तौर पर कर दिया गया जो कानूनन गलत है। तथा उस समय हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

चांदसैन ने आपस में साज करके या सहवन से विक्रय पत्र पर कानूनी रूप से गौर किये बिना व अपीलांट को सूचना दिये बिना सरासर विधि विरूद्ध तरीके से 5/24 के स्थान पर नामान्तकरण पंजिका में कांट छांट कर 1/6 हिस्सा तस्दीक फरमाया हैं। जो कि अपीलांट के हक व विधिक अधिकारो का हनन हैं तथा अपीलांट के हक व हिस्से की कृषि भूमि में जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की हैं उसके उपरांत भी रेस्पोडेन्ट सं01 ने अवैध रूप से नामान्तकरण के जरिये खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलांट को यह अपील पेश करना लाजिमी आया हैं। तथा उक्त नामान्तकरण विधिक रूप से एबिनिश्यू बाईड होने के कारण प्रथमतः ही निरस्तनीय हैं तथा जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। फिर भी उक्त अपील के साथ देरी माफी हेतू धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 19–02–2018 को प्राप्त होने पर अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी हुई कि नामान्तकरण में अपीलांट का हिस्सा गलत है। इसलिए जानकारी से उक्त अपील अंदर मियाद पेश है तथा एबिनिश्यू बाईड नामान्तकरण आदेश करने के लिए समय सीमा बाधित नहीं है। ऐसी स्थिति मे उक्त देरी माफी कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को अस्वीकार कर विक्रय पत्र दिनांक 05–10–1988 के आधार पर विधिवत् नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतू तहसीलदार लालसोट को प्रति प्रेषित करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जारी की गई तथा बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट बहस में तर्क दिया कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण का स्वीकृत नामान्तकरण से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदानं नहीं किया गया जबकि कानूनन चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण से पूर्व विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से गलत हिस्सा अंकित किया गया है। अपीलांट को नामान्तकरण की नकल दिनांक 19–02–2018 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। इस संबंध में अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2002 पेज 108 श्रीमती श्योबाई बनाम् शिम्यू, आर.बी.जे. 1998 पेज 43 रतन लाल बनाम् श्रीमती रामकन्या प्रस्तुत किये गये। चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण एबिनिश्यू बाईड हैं जिसके आधार पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

एबिनिश्यू बाईड नामान्तकरण को चुनौती देने के लिए समय सीमा बाधित नहीं है।

रेस्पोडेन्ट सं01 के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलांट से किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं थी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा विक्रय पत्र में वर्णित हिस्सा अनुसार हिस्सा बटा का सही अंकन नहीं करने करने के कारण सहवन से उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया हैं जिसे पुनः रिमाण्ड कर दिया जाता हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार उन्होने आदेशिका पर अपनी ओर से अनापत्ति जाहिर की। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सं01 को उक्त अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। बहस में वकील रेस्पोडेन्ट सं01 के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण दुर्भावनावश नहीं होकर सहवन से तस्दीक किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण एबीनिश्यू बाईड हैं उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रार्थना पत्र पूर्णतया से चस्पा होते है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार कर अपील को मियाद में शुमार की जाती है।

बहस मूल नामान्तकरण अपील सुनी गयी। अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया हैं कि उक्त नामान्तकरण विक्रय पत्र दिनांक 05–10–1988 में वर्णित हिस्सा बटा के आधार पर तस्दीक नहीं किया जाकर 5/24 के स्थान पर हिस्सा 1/6 अवैध रूप से अंकित कर दिया गया हैं जो कानूनन गलत है। तथा नामान्तकरण पंजिका पर कांट छांट भी कर रखी है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो विक्रय पत्र की विस्तृत जांच की गई तथा न ही अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसलिए उक्त नामान्तकरण आदेश एबीनिश्यू बाईड हैं इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त कर पुनः विक्रय पत्र में वर्णित हिस्सा अनुसार 1/6 के स्थान पर 5/24 का नामान्तकरण खोलने हेतू प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रति प्रेषित करे। रेस्पोडेन्ट सं01 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के हक उक्त अपील स्वीकार करने में हमे कोई आपत्ति नहीं

उभय पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य हैं कि अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05–10–1988 से

उपखण्ड अधिकारी

साबित होता हैं कि उन्होने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूल्या, कन्हैया, कल्याण व रामनाथ से क्रमशः हिस्सा 1/24, 1/24 व 1/8 की भूमि क्रय की हैं जिसके अनुसार अपीलांट का नामान्तकरण हिस्सा 5/24 दर्ज होना चाहिए था लेकिन नामान्तकरण पंजिका में सही हिस्सा दर्ज कर उसे वापिस कांटकर अवैध रूप से 5/24 के स्थान पर 1/6 हिस्सा गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। इसलिए उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन हैं कि उसने नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व आपत्ति क्यो नहीं की तो इस संबंध में पत्रावली संलग्न नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह प्रतीत होता हैं कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट कैसे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता? इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण आदेश विधि सम्मत नहीं हैं तथा विधि प्रक्रिया अनुसार अवैध हैं इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 81 ग्राम पंचायत चांदसैन ग्राम सालगरामपुरा चक नं01 तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर पुनः विक्रय पत्र दिनांक 05–10–1988 में वर्णित हिस्सानुसार विधिक जांच कर विधि सम्मत नामान्तकरण की कार्यवाही हेतू उक्त नामान्तकरण को तहसीलदार लालसोट को प्रेषित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट को नामान्तकरण की अविलम्ब कार्यवाही हेतू प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03-8-22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)
लालसोट